—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 34/2023

उनवान

जितेन्द्र भाटी पुत्र नेमीचन्द भाटी जाति माली निवासी ग्राम बासेली, तहसील पुष्कर
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. उमराव पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादीगण :— 2 जरियें राज. पैरोकार, 1 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 5.2.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 791 रकबा 0.20 की आराजी वादी की क्रयशुदा है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नही है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 बिना किसी अधिकार के आराजी मुतनाजा पर जबरन निर्माण करने पर आमादा है। तथा वादी को वादग्रस्त सम्पदा से बेदखल करना चाहता है। अतः प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व विधिवत तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज. पेरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 791 रकबा 0.20 की आराजी राजस्व अभिलेख में राजेन्द्र पुत्र लालचन्द के नाम खातेदारी दर्ज है। मूल खातेदार द्वारा आराजी मुतनाजा जरियें विक्रय पत्र दिनांक 5.10.21 को वादी को बैचान कर दी थी। विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नही हुयी है। वादी का कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नही है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 बिना किसी अधिकार के आराजी मुतनाजा पर जबरन निर्माण करने पर आमादा है। तथा वादी को वादग्रस्त सम्पदा से बेदखल करना चाहता है। अतः प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:26:13 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

किया जावे। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। किन्तु वादी द्वारा आराजी मुतनाजा के खातेदार राजेन्द्र पुत्र लालचन्द को प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया है। यधपि आराजी मुतनाजा मूल खातेदार द्वारा वादी को विक्रय कर दी है। किन्तु वादी उक्त आराजी का खातेदार नही है। भूमि के हाल खातेदार विक्रेता को सुनवाई का अवसर दिये बिना वादी को आराजी मुतनाजा पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना न्यायोचित नही है। बिना खातेदारी अधिकार के वादी को स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी प्रदान नही किया जा सकता है।

उक्तानुसार ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 791 रकबा 0.20 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:26:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

जितेन्द्र बनाम उमराव

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 34/2023
पेश करने की दिनांक – 21.2.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस) –व हाजिर अभिभाषक जितेन्द्र गुर्जर मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 791 रकबा 0.20 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 3 माह 3 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	

मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:26:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद